

25/7 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपरिथत। पत्रावली...
दिनांक... 2/6/35... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

26/7 पत्रावली पेश हुई अभिभाषकाण न न्यायालय
कार्य का बहिष्कार/स्थगना पर रखा।
अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही
दिनांक... 30/7/35... को पेश हो

30/7/35 पत्रावली पेश हुई। वकील उप. अग. सं.
28 नी ओक से शर्त वीकल सेगी उप. व 27
नी ओक से शर्त वीकल सेगी ने मी पेश
मिमा। पत्रावली वास्ते अग्रिम पर पत्र अग. सं.
28 व पीछा फरसे वहालनाम अग. सं. 27
व तल्ला वीकल आरिज दिनांक 3/9/35 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (शुन्धुनी)

30/7/35 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपरिथत वकील
वादी/प्रार्थी ने उपरिथत होकर जाहिर किया कि वे प्रकरण
को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इरी स्तर पर खारिज/
नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते हैं तथा इस आशय के
आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। फलवरुप प्रकरण को इरी
स्तर पर खारिज/नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय
सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो तथा दाखील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature and the text "दिनांक 3/9/35".